B.Ed - IInd YEAR

C-8 (Knowledge & Curriculum)

* मुदालियर आयोग के दोष ⟹

1) माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन ⟹ आयोग ने एक ओर 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात तो दूसरी ओर कक्षा 6, 7 और 8 को निम्न माध्यमिक और कक्षा 9, 10, 11 को उच्च माध्यमिक वर्ग में बाँटकर कुल 6 वर्षीय माध्यमिक की बात की। ये दोनो बातें स्पष्ट थी। माध्यमिक कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा व कक्षा 12 को स्नातक शिक्षा मे जोड़ने संबंधी सुझाव के पीछे भी कोई औचित्य नजर नही आता। इसी प्रकार इण्टरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त करने का सुझाव भी उचित नही है। समय ने यह प्रमाणित कर दिया है कि इण्टरमिडिएट [illegible] महाविद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से उत्तम है।

2) बोझिल पाठ्यचर्या ⟹ माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं और कुल मिलाकर आठ विषयों के अध्ययन से माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या बोझिल बन गई थी।

3) पाठ्यक्रम का आधार स्पष्ट नही ⟹ आयोग ने माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम हेतु 7 वर्गों का निर्माण किया और सात वर्गों के लिए कुछ विषय समान रखे और भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न रखे। कुछ ऐच्छिक विषयों को दो से अधिक वर्गों में भी रखा गया। इस प्रकार ऐच्छिक विषयों का विभिन्न वर्गों में किया गया विभाजन वर्तमान युग के लिए उपयुक्त नही है।

4) भ्रामक भाषा नीति ⟹ आयोग स्वयम भाषा नीति के प्रति सशंकित था। आयोग के सभी सदस्यों में एक भी हिन्दी भाषा का समर्थक नही था। अतः उसने अंग्रेजी के अध्ययन के विषय में कुछ उलझे सुझाव दिए तथा एक ओर अनिवार्य विषयों कि सूची मे रखा तो दूसरी ओर ऐच्छिक विषयों कि सूची मे अतः इस प्रकार भ्रामक भाषा नीति के कारण हिंदी भाषा कि जो हानी हुई

उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पायी।

5] बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना अव्यवहारिक ⟹
आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों में बदलने का सुझाव दिया और सभी स्कूलों में एक साथ अनेक हस्तकौशलों और व्यवसायों की शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया, परन्तु इस पर होने वाले व्यय का अनुमान नहीं लगाया जो इससे प्राप्त लाभों की तुलना में कहीं अधिक था। अतः लोगों कि संस्तुति अव्यवहारिक होने के कारण इन स्कूलों को बाद में बंद करना पड़ा।

6] गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में सुझाव ⟹
आयोग द्वारा गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में दिये गए सुझाव भी आशा से अधिक काल्पनिक हैं। इनमें मौलिकता का अभाव है।

14/05/2020

C-10

समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशिष्ट बालको (मन्दबुद्धि, अन्धे बालक, बहरे बालक प्रतिभाशाली बालक इत्यादि) को ज्ञान प्रदान किया जाता है।

इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जाँच की जाती है। तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है।

स्टीफन तथा क्लैकहर्ट के अनुसार—

शिक्षा की मुख्यधारा का अर्थ विशिष्ट बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। ऐसा करने से सामाजिक मानकीपकरण को बढ़ावा मिलता है।

समावेशी शिक्षा की विशेषताएं:—

1- विभिन्नता की पहचान
2- शिक्षा एक मौलिक अधिकार
3- सभी विद्यालयों में सब के लिए शिक्षा
4- विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति
5- सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा में निकट सम्बन्ध
6- विद्यालय द्वारा उचित प्रबन्ध करना
7- प्राथमिक शिक्षण तथा लचीला पाठ्यक्रम
8- अभिभावक एवं समाज की भागीदारी
9- सतत एवं सहायक शिक्षण व्यवस्था
10- मजबूत नीतियाँ एवं नियोजन
11- विविधता कोई समस्या नहीं है।
12- विद्यालय का प्रयत्न एवं अभियोजन

समावेशी शिक्षा के उद्देश्य:—

1- सभी के लिए शिक्षा
2. समाज का अंग
3. सामाजिक चेतना का उद्गम
4. अधिकारों की रक्षा
5. संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन
6. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
7. मातृभाव की भावना का विकास
8. आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास
9. आशक्तता एवं असामर्थ्य को शक्ति एवं क्षमता में बदलना
10 कौशलों की पहचान करना

समावेशी शिक्षा के लाभ/गुण

1. यह आवश्यकताओं पर आधारित होता है।
2. इसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है।
3. इसमें आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है।
4. यह शिक्षा से वंचित बालकों से सम्बन्धित होता है।
5. यह व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होता है।
6. यह शिक्षा व्यवस्था कम खर्चीली होती है।
7. इससे बालकों का अधिकतम विकास होता है।
8. यह बालकों की समस्याओं को समझने में सहायक है।

समावेशी शिक्षा के दोष / हानियाँ

1- प्राप्त अनुदान का अर्थहीन व्यय करना (केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा)
2. समावेशी शिक्षा एक महँगी प्रणाली है।
3. शिक्षकों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना।
4- शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण का अभाव
5- अलगाव एवं रूढ़िवादिता
6. समावेशी शिक्षा को समाज द्वारा अस्वीकार करना
7- अभिभावकों का असहयोग
8- लिंग सम्बन्धी भेदभाव (पुरुष प्रधान देश होने के नाते)
9. संवेगात्मक समस्याएं (कराक्ष तथा नकारात्मक कथन का प्रभाव)

समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक

1- माता-पिता
2- रूढ़िवादिता
3- समुदाय
4- शिक्षक
5- समावेशी विद्यालय - विद्यालय द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके इस शिक्षा को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।

15.05.2023